न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 42/2024

श्री रामधन पुत्र श्री कल्याण चौधरी निवासी हाल मराठा कॉलोनी जिला टोंक राज0
——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू अभिलेख) कलेक्ट्रेट, टोंक
——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

दिनांक 24.09.2024

निर्णय

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 379 दिनाक 03.07.2024 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू अभिलेख) कलेक्ट्रेट, टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1. श्रीमति सुमित्रा चौधरी पत्नी श्री सूरज चौधरी हाल हल्का पटवारी हल्का अरनियां केदार तह. टोंक जिला टोंक के द्वारा पटवारी बनने से पूर्व परीक्षा स्थल तथा रोल नम्बर, कमरा नम्बर का रिकॉर्ड उपलब्ध करावें।
2. सुमित्रा चौधरी पत्नी सूरज चौधरी के साथ पटवारी की परीक्षा में बैठे कमरे में परीक्षा देते समय परीक्षार्थियों के नाम पता व रोल नम्बर उपलब्ध करावें
3. सुमित्रा चौधरी पत्नी सूरज चौधरी के साथ बैठे पटवारी की परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों के पास होने एक कमरे में बैठे होने का रिकॉर्ड उपलब्ध करावें।
4. सुमित्रा चौधरी हल्का पटवारी हल्का अरनियां केदार तहसील टोंक की सर्विस बुक की छाया प्रति उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू अभिलेख) कलेक्ट्रेट, टोंक को पत्र कमांक 1125 दिनांक 14.08.2024, पत्र कमांक 1199 दिनांक 27.08.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू अभिलेख) कलेक्ट्रेट, टोंक ने पत्र कमांक 3866 दिनांक 04.09.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 3851—52 दिनांक 04.09.2024 से सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू अभिलेख) कलेक्ट्रेट, टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक